

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक:जीवि/प्रशा0/स्था0/2020/3166

दिनांक : 30/9/2020


// कार्यालयीन आदेश //

स्थानीय जिला प्रशासन के आदेशानुसार ग्वालियर (मध्यप्रदेश) में सम्पन्न होने वाले उप-चुनाव दिनांक 03 नवम्बर, 2020 को प्रस्तावित है और चुनाव आयोग द्वारा दिनांक 29.09.2020 से आर्दश आचार संहिता लागू कर दी गई है।

अतः जिला प्रशासन के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय गेस्ट हाऊस में होने वाली समस्त गतिविधियों को बन्द करते हुये गेस्ट हाऊस को आगामी आदेश तक बन्द किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते हैं।


आदेशानुसार,



कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. वित्त नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।
2. प्रभारी, गेस्ट हाऊस, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक, जी0वि0वि0ग्वालियर।
4. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।
5. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।


सहायक उप-कुलसचिव(प्रशासन)